



HEMWATI NANDAN BAHUGUNA UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

New Hope Town (Sisambada), PO : Selaqui, Dehradun (India)

न्यू हाप टाउन (सिसमबाडा) पत्रालय : सेलाकुई, देहरादून

Dehradun- 248 011 Uttarakhand (India) Phone: 0135-2723321/2723322

देहरादून-248011 उत्तराखण्ड (भारत) दूरभाष : 0135.2723321 / 2723322

Website : [www.hnbumu.ac.in](http://www.hnbumu.ac.in) , E-mail : [info.hnbumu@gmail.com](mailto:info.hnbumu@gmail.com)

[vcsectt.hnbumu@gamil.com](mailto:vcsectt.hnbumu@gamil.com)

पत्रांक: 566/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/डीन कार्यालय/2026-27  
सेवा में

दिनांक: 10, मई, 2026

1. प्रो0 (डॉ0) अजय आर्या, निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, चन्दर नगर, देहरादून
2. प्रो0 (डॉ0) जी0एस0 तितियाल, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी
3. प्रो0 (डॉ0) सी0पी0 भैसोड़ा, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा
4. (डॉ0) शिखा जंगपांगी, प्रतिनिधि, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डाण्डा लखौण्ड, नियर आई0टी0 पार्क, देहरादून। (विशेष आमन्त्रित सदस्य)
5. प्रो0 गजेन्द्र सिंह विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट, दून यूनिवर्सिटी, मौथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून
6. प्रो0 विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय

विषय:- हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद की सत्रहवीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

दिनांक 23 मई 2026 (शनिवार) को हेमवती नन्दन बहुगुणा की शैक्षिक परिषद की सत्रहवीं बैठक विश्वविद्यालय सभागार में मा0 कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ताकि शैक्षिक परिषद समिति की आगामी बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि के समय यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

संलग्न-उक्तानुसार। (1-7)

भवदीय

(प्रो0 (डॉ0) महेन्द्र कुमार पन्त)  
डीन (अधिष्ठाता)  
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,  
देहरादून

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक अधिकारी मा0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय सेलाकुई देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को इस आशय से अनुरोध कि कार्यवृत्त के 17.5 में परीक्षा सम्बन्धी बिन्दु संख्या 03 में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण उक्त का प्रस्ताव आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(प्रो0 (डॉ0) महेन्द्र कुमार पन्त)  
डीन (अधिष्ठाता)  
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,  
देहरादून


मा० कुलपति, एच०एन०बी०यू०एम०ई०यू की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में  
दिनांक 23.05.2026 को अपराहन 12:00 बजे आहूत हेमवती नन्दन बहुगुणा  
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून की शैक्षिक परिषद की सत्रहवीं  
बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1. डॉ० अजय आर्या ,निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, चन्दर नगर देहरादून।
2. डॉ० शिखा जंगपांगी, प्रतिनिधि, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डाण्डा लखौण्ड, नियर आई०टी० पार्क देहरादून। (विशेष आमन्त्री)
3. डॉ० एम०के० पन्त, डीन, हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. डॉ० सी०पी० भैसोडा, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा।
5. डॉ० जी०एस० तितियाल, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी।
6. प्रो० गजेन्द्र सिंह , विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट, दून यूनिर्वसीटी, मौथरोवाला रोड़ केदारपुर, देहरादून।
7. प्रो० विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।( विशेष आमन्त्री)

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा, हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, अध्यक्ष शैक्षिक परिषद द्वारा समस्त सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत करते बैठक प्रारम्भ की गयी, तदोपरान्त मा० अध्यक्ष एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं के क्रमानुसार विचार-विमर्श करते हुए निम्न सहमति बनी :—

क्रसं	एजण्डा	कार्यवाही
17.01	नव नियुक्त शैक्षिक परिषद के सदस्यों का स्वागत एवं पूर्व के सदस्यों के सहयोग की सराहना/आभार प्रकट करना।	शैक्षिक परिषद द्वारा बैठक में उपस्थित शैक्षिक परिषद के नये सदस्यों का स्वागत करते हुए पूर्व के सदस्यों का शैक्षिक परिषद की बैठकों में सहयोग हेतु आभार प्रकट किया गया।
17.02	दिनांक 20.02.2025 को आहूत 16वीं शैक्षिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन	शैक्षिक परिषद की 16 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुरूप की गयी कार्यवाही से मा० परिषद को अवगत कराया गया।
17.03	परीक्षा समिति की तृतीय बैठक मे लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।	शैक्षिक परिषद द्वारा परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त को सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। संलग्नक-1





17.04	एकेडमिक केलण्डर पर चर्चा।	विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु तैयार किये जाने वाले एकेडमिक केलण्डर पर शैक्षिक परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित विषयक के संयोजक द्वारा अपने-अपने पाठ्यक्रमों के एकेडमिक केलण्डर तैयार कर आगामी बोर्ड ऑफ स्टडीज में प्रस्तुत करेंगे। उक्त के उपरान्त आगामी शैक्षिक परिषद के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
17.05	मेडिकल पाठ्यक्रम एम0डी0/एम0एस0 हेतु करायी जाने वाली थिसिस (शोध प्रबंध) के गाईड पर चर्चा।	<p>1. मेडिकल पाठ्यक्रम हेतु करायी जाने वाली थिसिस एम0डी0/एम0एस0/थिसिस- नीट पी0जी0 की विभिन्न चरणों की काउन्सिलिंग में निर्धारित अन्तिम प्रवेश तिथि से तीन माह के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज स्तर पर थिसिस में सिनोपसिस को जमा करा लिया जाए। उक्त थिसिस जमा करने हेतु सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य अपने स्तर से तिथि हेतु नोटिफिकेशन जारी करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सिनोपसिस को मेडिकल कॉलेज स्तर पर पूर्ण होने पर तीन माह से अधिक का समय लगने पर सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी। तीन माह के समय में सिनोपसिस की समस्त औपचारिकताएं जैसे आई0ई0सी0 आदि को पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। जिस पर विश्वविद्यालय स्तर से अधिकतम 01 माह के भीतर अनुमोदन की कार्यवाही कर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को पत्र निर्गत किय जायेगा।</p> <p>2. सम्बन्धित एम0डी0/एम0एस0 प्रवेशार्थियों द्वारा एम0डी0/एम0एस0 के मुख्य परीक्षा से 06 माह पूर्व थिसिस को सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में जमा किया जायेगा। जिसे तत्काल सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदित पैनल में से सम्बन्धित विषय-विशेषज्ञों को थिसिस ऑन लाईन प्रेषित की जायेगी। जिस पर 21 दिनों के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर उक्तानुसार सम्बन्धित कॉलेज को सूचित किया जायेगा।</p> <p>3. यदि किसी गाईड एवं को-गाईड का स्थानान्तरण उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में</p>

 08/06/2024



(2/1)

		<p>अनुमोदित थिसिस सिनोपसिज के बाद किसी भी समय होता है तो उक्त थिसिस को पूर्ण करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित गाईड एवं को-गाईड की संयुक्त रूप से रहेगी। यदि कोई विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो उक्त को सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य अपने स्तर से संवीक्षा करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा भी 02 सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर सम्बन्धित कॉलेज को सूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय से थिसिस पोटोकॉल/सिनोपसिज के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित किये गये गाईड एवं को-गाईड नहीं बदले जायेंगे। निजी विशेष परिस्थिति में कॉलेज प्राचार्य विषय-प्रकरण को विश्वविद्यालय को सन्दर्भित करेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा उन पर दो सप्ताह में निर्णय लेकर संबंधित कॉलेज को सूचित किया जायेगा।</p> <p>4. किसी भी एम0डी0/एम0एस0 की थिसिस में संबंधित विभाग गाईड के अतिरिक्त को-गाईड संबंधित विभाग तथा अन्य विभाग में अनिवार्य होंगे ताकि सभी संकाय सदस्यों को समानता का अवसर प्राप्त हो सकें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सहमति बनी कि ऐसे संकाय सदस्य जोकि गाईड या को-गाईड हैं, एवं उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त स्थिति में एक स्थानीय गाईड/को-गाईड (यथा आवश्यकता) का चयन सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य स्तर से किया जायेगा।</p> <p>5. आन्तरिक मूल्यांकन (एम0डी0/एम0एस0) एम0डी0/एम0एस0 में प्रवेशित विद्यार्थियों के तीन वर्ष की अवधि में आन्तरिक मूल्यांकन के प्रावधान होंगे जिसे वर्षवार कॉलेज स्तर से आयोजित कराया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों की होगी।</p> <p>6. प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन – प्रथम वर्ष की समाप्ति पर।</p>
--	--	---

  
08/06/2026



(3/7)

		<p>7. द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन— द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर।</p> <p>8. तृतीय आन्तरिक मूल्यांकन – प्री विश्वविद्यालय परीक्षा (विश्वविद्यालयी परीक्षा से एक माह पूर्व)</p> <p>उपरोक्त मूल्यांकन में दो सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन लिया जायेगा, जिसमें प्री विश्वविद्यालयी परीक्षा के अतिरिक्त, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में से किसी एक के मूल्यांकन जो सर्वश्रेष्ठ हो को सम्मिलित किया जायेगा। मूल्यांकन (थ्योरी एवं प्रयोगात्मक) दोनों ही सम्बन्धित कॉलेज द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालयी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु थ्योरी एवं प्रयोगात्मक में पृथक-पृथक अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना होगा। विश्वविद्यालयी परीक्षा में अन्य सभी परीक्षा संबंधी मानको को संबंधित प्राचार्य द्वारा पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही अर्ह विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।</p> <p><b>परीक्षा संबंधी—</b></p> <p>प्रश्न पत्रों को बनाये जाने हेतु एन0एम0सी0 मानकानुसार अर्ह परीक्षकों वाह्य एवं आन्तरिक का डेटा बेस बनाया जायेगा। जिसे गुगल फार्म के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा।</p> <p>प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों को बनाये जाने तथा मोडरेट किये जाने हेतु प्रत्येक विषय के वरिष्ठतम संकाय सदस्यों को <u>कोडिनेटर/माडरेटर</u> नामित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पैनल से प्रश्न पत्रों को दो सेट में एकत्रित करते हुए एवं फाईनल प्रश्नपत्र को माडरेट करते हुये सीधे एकजाम पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे।</p> <p>उपरोक्तानुसार प्रश्नपत्र को प्राप्त किये जाने एवं माडरेट की व्यवस्था जुलाई 2027 के बाद होने</p>
--	--	--

06/06/2026



(4/2)

		<p>वाले समस्त विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं हेतु लागू होंगे।</p> <p>अकादमिक एवं परीक्षा संबंधी अन्य बिन्दुओं में चर्चानुसार सम्यकविचारोपरान्त निम्न बिन्दुओं में भी सहमति बनी।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 आगामी शैक्षिक/अकादमिक परिषद की बैठकों में विभिन्न संकायो के कोडिनेटर को भी बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाना है।</li><li>2 विश्वविद्यालय एक्ट एवं नियामावली में वर्णित विभिन्न संकाय बोर्डों का गठन किया जाना है।</li><li>3. विश्वविद्यालयी परीक्षाओं को सम्पादित कराये जाने तथा परीक्षाओं के मानदेय/भत्ते पारश्रमिक दरों का पुन निरीक्षण किया जाना है। जिस हेतु उत्तर प्रदेश स्थित अटल विहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की दरो आदि का अध्ययन कर उक्त को अंगीकृत किये जाने हेतु निर्णय हेतु मा० कुलपति महोदया जी को शैक्षिक परिषद द्वारा अधिकृत किया गया।</li><li>4. राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया कि लिखित परीक्षा के बाद प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु समय कम प्राप्त होने के कारण उक्त अल्प समय में परीक्षकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तथा परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः सम्यकविचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रायोगात्मक परीक्षाओं हेतु न्यूनतम 02 सप्ताह का समय प्रदान किया जाये तदनुसार ही परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किये जायें, जिसे तत्काल लागू किये जाने पर सहमति बनी।</li><li>5. संकाय बोर्ड गठन के उपरान्त प्रत्येक संकाय बोर्ड अपना शैक्षिक कलेन्डर बनाएंगें तथा आगामी शैक्षिक परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।</li></ol>
--	--	---

  
08/06/2022



(57)

		<p>6. किसी विश्वविद्यालयीय एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0/एम0एस0 / पैरामेडिकल की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र को बदलने से सम्बन्धित प्रकरण पर अन्तिम निर्णय मा0 कुलपति महोदय का होगा। परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु केवल चिकित्सकीय, प्राकृतिक आपदा एवं ऐसी औचित्यपूर्ण विशेष परिस्थितियों का संज्ञान लिया जाएगा। उपरोक्त प्रकरणों को परिस्थिति का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्राचार्य का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।</p>
17.06	<p>विश्वविद्यालय द्वार संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के उत्तर पुस्तिका की जाँच/मूल्यांकन को सेंद्रल इवोल्यूशन किये जाने पर चर्चा/अनुमोदन</p>	<p>मा0 परिषद द्वारा दिनांक 22 मई, 2026 को परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्ताव सख्या-3.12 को अनुमोदित किया गया।</p>
17.07	<p>पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों हेतु अध्यादेश/नियम पर चर्चा।</p>	<p>मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु नियामक संस्था नैशनल कमिशन फॉर एलाइड एण्ड हैल्थ केयर प्रोफेशन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय काउन्सिल का गठन किया गया है। पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों हेतु मा0 परिषद द्वारा विचारोपरान्त शैक्षिक हित मे निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र-2026-27 के प्रारम्भ होने से पूर्व सत्र से पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को नैशनल कमिशन फॉर एलाइड एण्ड हैल्थ केयर प्रोफेशन के अनुरूप संचालित किये जाने का प्रस्ताव एक विद्या परिषद (बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (BOS) में प्रस्तुत कर लागू करा लिया जाए।</p>

  
08/06/2026



(6/7)

17.08	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम बी०एस०सी०- ओ०टी० (बैच 2021-22) का छात्र श्री सूरज मण्डल के पुनः प्रवेश हेतु अनुरोध पर के संबंध में चर्चा/निर्णय।	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम बी०एस०सी०- ओ०टी० (बैच 2021-22) का छात्र श्री सूरज मण्डल के पुनः प्रवेश हेतु दिये गये अनुरोध पत्र के संबंध में मा० परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति का गठन कर उक्त छात्र के पाठ्यक्रम की समायावधि एवं कोर्स संबंधी रिपोर्ट तैयार कर विश्वविद्यालय को अवगत कराये।
-------	---	--

तदोपरान्त धन्यवाद ज्ञापन के साथ मा० शैक्षिक परिषद की बैठक का समापन किया गया।

*[Handwritten signature]*  
08/06/22

दिनांक 08/06/22

*[Handwritten signature]*

(प्रो०(डॉ०) भानु दुग्गल)  
कुलपति

Vice Chancellor  
HNB Uttarakhand Medical Education University  
Dehradun